न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–239/2017

1. छीतर
2. भैरू
3. शिवदान
4. जगदीश नारायण
5. हरफूल
6. गैन्दा पुत्र ईशरा

पुत्रान मोहरा | समस्त आयु वयस्क, जाति जाट, समस्त निवासियान ग्राम भूरानपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर

–अपीलान्ट्स–

बनाम

1. रेवड पुत्र हरसहाय
2. ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय
3. फूली पुत्री हरसहाय
4. कमली पुत्री हरसहाय
5. शान्ति पुत्री हरसहाय
6. नन्छी पुत्री रामसहाय

समस्त आयु वयस्क, समस्त जाति जाट, समस्त निवासियान ग्राम भूरानपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0

7. श्रीमान तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

– रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री अजय सिंह अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री संजय शर्मा रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–17–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 वाद संख्या 95/2016, उनवानी रेवडमल व अन्य बनाम छीतर व अन्य, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ जयपुर प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.07200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.5700 हैक्टेयर ,खसरा नम्बर 266 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 2.0600 हैक्टेयर ग्राम भूरानपुरा तहसील जमवारागढ जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सख्या 6 का हिस्सा 1/3 स्थित है। वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से की भूमि को उन्नत करने के लिऐ काफी पैसे खर्च कर दिये है एवं उक्त कृषि भूमि को उन्नत करने में लगी संपूर्ण राशि वादीगण ने स्वयं खर्चे की है जिससे प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 6 का किसी प्रकार का कोई हक सम्बन्ध नही है।प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 6 उक्त वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने का आमादा हो रहे है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कर रहे हे तथा वादीगण की कब्जे शुदा कृषि भूमि पर कब्जा कर रहे है जबकि वादीगण उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है और प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 को कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने का अधिकार नही है ना ही अधिकार है कि वाह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी करें तथा बिना विधिक बंटवारा करवाये उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान करने का भी किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है।वादीगण दिनांक 12–10–2016 को जब मौका स्थल पर गये तो वहॉ पर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 कुछ लोगों के साथ मौके स्थल पर खडे वादीगण की कब्जेशुदा भूमि को अपनी भूमि बताते हुए वादीगण की कब्जा काश्त शुदा कृषि भूमि को बैचान करने की बात कर रहे थे तो वादीगण ने प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 6 को बहुत समझाया कि उक्त कृषि भूमि हम सभी की शामलाती भूमि है अभी तक उक्त कृषि भूमि का विधिक रूप से तकासमा नही हुआ है पहले उक्त भूमि का तकासमा करवा लो और फिर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त करो या निर्माण करो या बैचान करो लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 6 नहीं माने ओर धमकियॉ दी कि हम उक्त भूमि में तुम्हारी कब्जा–काश्त शुदा उन्नत की गई भूमि पर तार बाउण्ड्री कर निर्माण करके तुम्हारी हिस्से की भूमि का बैचान करेगें, इसलिये वादीगण के लिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त वाद प्रस्तुत कर वादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21/03/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 21.03.2017 विधि विधान एवं पत्रावली के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 0.7200 हैक्टै0, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.5700 हैक्टै0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.7700 हैक्टै0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.0600 हैक्टै0, वाके ग्राम भुरानपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की में स्थित भूमि के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात है। जिसमें वादीगणों का 1/3 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा है मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 कब्जा काश्त वर्षो से चला आ रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत अपीलान्ट को उनके हिस्से से कम भूमि देते हुए जिस ढंग से बंटवारे का वाद डिक्री किया है वह सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बंटवारें के बाद में कभी भी आवागमन हेतु रास्ता प्रदत्त करने के क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को नही होता है इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पृथक से धारा 251 में तहसीलदार को एवं धारा 251 ए में उपखण्ड अधिकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जिस ढंग से वादीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में जिस ढंग से डण्डी मारते हुए रास्ते के बारे में मौका विभाजन एवं नक्शे में दर्शाने का वादीगण के पक्ष में निर्देश दिये हैं वे आदेश व डिक्री जेर अपील सरासर कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पारित करते समय प्रतिवादीगण के मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में में एक शब्द भी निर्णय जेर अपील ये अंकन नहीं किया बल्कि निर्णय जेर अपील को पढने से यह भली भांति सिद्ध होता है कि कि उक्त दावे की ट्रायल में वादीगण ही अर्थात शहादत देने हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए ऐसी परिस्थिति में विचारणीय न्यायालय द्वारा किस परिस्थिति में हास्यापद रूप से वादीगण रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री पारित होने तक सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत एक तनकी तक भी कायम करने का कष्ट नहीं किया।इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक एवं अन्तिम निर्णय डिक्री पूर्णतया हास्यापद व कानून के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.03.2017 की पालना में कब कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई तथा कब तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु नोटिस जारी किया गया इन बातों का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की ऑर्डर शीट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उल्लेख प्रारम्भिक डिक्री में है, टीनेन्सी रूल्स नियम 18 से 21 की कतई कोई पालना प्रारम्भिक डिक्री में नहीं की गई, इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 पूर्णतया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विचारणीय न्यायालय ने प्रकरण के सही एवं वास्तविक तथ्यों को कतई कोई सम्यक अध्ययन विवेचन, एवं अवलोकन करने तक का कष्ट नहीं किया तथा आरबीट्रेरी डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2017 की पालना भी बाला बाला बिना अपीलान्ट प्रतिवादीगणों को नोटिस दिये व बिना अपीलान्टगणों के हस्ताक्षर भी तहसीलदार के आदेश क्रमांक 2017/306 दिनांक 24.03.2017 की पालना में प्रस्तावित भी करवा ली, जिससे यह भी भली भांति स्पष्ट होता है कि विचारणीय न्यायालय द्वारा पूर्णतया (टिल–टिल दा स्केल) तराजू की डंडी अपीलान्ट के विपरीत एवं रेस्पोडेंट वादीगण के पक्ष में मारने की कार्यवाही कर रही है जो सम्पूर्णतया दूषित प्रक्रिया के तहत की गई न्यायिक कार्यवाही निरस्तनीय है। अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि निर्णय व डिक्री प्राथमिक दिनांक 21.03.2017 निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का मौका प्रदान करते हुए तनकियात कायम कर दोनों पक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित फरमाया जावें ।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा अनुचित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है। खसरा नम्बर 253 संपर्णू पर अपीलान्टस का कब्जा है जो कि रेस्पोडेन्टस को प्रस्तावित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अपीलान्टस द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा जवाव दावा के पैरा सख्या 4 में सरस–नरस के आधार पर तकासमा किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील में जो आधार लिये गये है वे प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध नहीं लिये जाकर उसके पश्चात तैयार किये गये कुर्रेजात रिपोर्ट पर लिये गये है। उक्त आपत्ति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किये जाने का अवसर अपीलान्टस के पास मौजूद है।अपीलान्टस द्वारा सिर्फ प्रकरण को लम्बित रखने के उद्वेश्य से ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कि खारिज योग्य है।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि प्रकरण में पक्षकारान के दर्ज हिस्सों अनुसार मौके पर कब्जे एवं प्रतिदावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे को मध्यनजर रखते हुए सरस–नरस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किये जावे।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय प्रतिवादीगण /अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे एवं प्रतिदावे के आधार पर पारित किया गया हैं। प्रतिवदीगण स्वयं द्वारा अपने प्रतिदावे में यह अनुतोष चाहा गया कि "वादग्रस्त भूमियों में प्रतिदावा मय संलग्न नजरी नक्शे को मध्यनजर रखते हुए रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मुताबिक सरस–नरस एवं बाई मीट्स बाउण्ड्स पर दावा डिक्री कर मिन प्रतिवादीगण के हिस्सों की भूमि अनुसार तकासमा किया जाकर मुकदमें में

तकासमें हेतु निर्णय फरमा दिया जाावे।'' अपीलाधीन निर्णय हुबहू प्रतिवादीगण द्वारा अपनी प्रतिदावे में चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही पारित किया गया है।उक्त निर्णय से प्रतिवादीगण किस प्रकार से व्यथित है यह समझ से परे है। अपीलान्टस प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अपील में जो अधार लिये गये है वे प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के पश्चात की गई कार्यवाही के विरूद्ध लिये गये है।प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के पश्चात तैयार किये गये कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्तियॉ उठाई गई है जो कि प्रस्तुत अपीलाधीन निर्णय से पूर्णतया अप्रासंगिक है।अपील मीमों को पढने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत अपील जिस अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है उस आदेश के विरूद्ध कोई विधिक आधार उक्त अपील में उल्लेख नहीं किये गये है। अपील मात्र प्रकरण को लम्बित रखे जाने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट होता है। अपील में जो आपत्तियॉ अपीलान्टस द्वारा ली गई है उन आपत्तियों को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर अपीलान्टस के पास मौजूद है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील विधिक बलरहित होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बहाल रखे जाने योग्य है।

8— अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 17—01—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर